संख्या-18/2018-सा-3-492/दस-2018/02 एल0सी0/2017

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

2- निदेशक, कोषागार 1018 जवाहर भवन, लखनऊ

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक: 03 जुलाई, 2018

विषय:- सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के उपरान्त पुनरीक्षित पेंशन के एरियर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016-308/2016, दिनांक 23-12-2016 एवं संख्या-29/2017-सा-3-495/दस-2017-02 एल0सी0/2017, दिनांक 21-08-2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के उपरान्त पुनरीक्षित पेंशन के एरियर का भुगतान प्रदेश के कतिपय कोषागारों द्वारा नही किया जा रहा हैं। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त कोषागारों के माध्यम से इस विषय में पूर्व निर्गत शासनादेशों के अनुसार पेंशनरों के एरियर का भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-18/2018-सा-3-492/दस-2018, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ।

(2)- समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in